कार्यालयः– जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर। — अति महत्वपूर्ण

पत्रांक C-794 /स0क0/दशमोत्तर छात्रवृत्ति/2020–21/दिनॉक 17/07/2020 — ई–मेल

अनुस्मारक द्वितीय

प्राचार्य/डायरेक्टर

डिग्री/मैनेजमेंट/इंजीनियरिंग/मैडिकल/पैरा मैडिकल,

बी0एड0/बी0टी0सी0/पालीटैक्नीक/आई0टी0आई0 व हाई स्कूल व इन्टर कालेज,

जनपद मुजफ्फरनगर।

विषयः– **छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 सी–784 दिनॉक 13/07/2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के संबंध मे निर्देशित किया गया है। इस संबंध मे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक सी–3594 दिनॉक 05/02/2020, जिसके साथ निदेशक, स0क0, उ0प्र0 लखनऊ पत्र सं0 4630 दिनॉक 03/02/2020 व पत्र संख्या सी–425 दिनॉक 24/06/2020 जिसकें साथ अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 1461 दिनॉक 23/06/2020 संलग्न था।

उक्त पत्रों के साथ सूचित किया गया था कि वर्ष 2020–2021 से छात्रों के आधार नम्बर आनलाईन वेरीफिकेशन के पश्चात आवेदन पत्र सब्मिट किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

इस व्यवस्था में छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आनलाईन मिलान किया जायेगा। छात्र हाईस्कूल अंक पत्र/प्रमाण पत्र मे अंकित अपना नाम तथा अपने माता–पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता का नाम अपडेट/शुद्व करा लें इसके साथ ही हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट/शुद्व करा लें। आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको भी शुद्व करा लें।

इस प्रकिया में छात्र द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरांत आवेदन पत्र सब्मिट किया जा सकेंगा। इसके अतिरिक्त अन्य निर्देश भी दिये गये थें।

यदि कोई छात्र अपना आधार अपडेट नही कराता है/बैंक खाता से लिंक/सीडेड नही कराता है तो शैक्षिक/वित्तीय वर्ष 2020–21 में छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार सम्भव नही हो सकेगा। छात्रों का बैंक खाता जिस बैंक में खुला है वह बैंक PFMS से मैप होना चाहियें।

यह भी सूच्य है कि आवेदन करने से छात्रवृत्ति का भुगतान होने तक समय लगता है तथा इसी मध्य छात्रों द्वारा खाते मे लेन–देन नही किया जाता है। अतः समस्त छात्रों को खाते मे लेन–देन करने हेतु निर्देशित कर दे।

अतः पत्र सं0 सी–784 दिनॉक 13/07/2020 की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि बिन्दुवार निर्देशो का गहनता से अध्ययन कर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा छात्रों को भी अवगत करायें एवं नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(अर्चना)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,

मुजफ्फरनगर।

पृ0 सं0 /तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय को पृष्ठांकन आदेश 3376/ओएसडी दिनॉक 23/06/2020 एवं 3400 दिनॉक 24/06/20 के कम में सादर सूचनार्थ।

2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकन आदेश डी0आर0 1057 दिनॉक 26/06/2020 एवं 1207 दिनॉक 06/07/20 के कम में सादर सूचनार्थ ।

3– उपनिदेशक, समाज कल्याण, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर।

4– जिला विद्यालय निरीक्षक, मु0नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह भी अपने स्तर से समस्त हाईस्कूल/इन्टर कालेज व उच्च शिक्षण संस्थानों को उक्त के संबंध मे निर्देशित करने का कष्ट करें।

5– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी मु0नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,

मुजफ्फरनगर।

ई–मेल

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या– C-784 /स0क0/शिक्षा–अ/3/96–2/2020–21

लखनऊः दिनांकः 13 जुलाई, 2020

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–:छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक समस्त जिलाधिकारी को सम्बोधित निदेशालय पत्रांक सी0–346 दिनांक 17–06–2020 व शासन के पत्रांक–1461/26–3–2020 दिनांक 23–06–2020 तथा आपको सम्बोधित व समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 को पृष्ठांकित निदेशालय पत्रांक सी0–487 दिनांक 16–05–2019, पत्रांक सी0–580 दिनांक 23–05–2019, पत्रांक 3460–62 दिनांक 13–12–2019, पत्रांक सी0–4630 दिनांक 03–01–2020 तथा चतुर्थ अनुस्मारक पत्रांक सी0–5814 दिनांक 02–03–2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– भारत सरकार/राज्य सराकर द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर का ऑथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आनलाइन मिलान किया जायेगा। यदि उक्त डाटा का मिलान होता है तभी छात्र का आवेदन पत्र छात्र स्तर से अग्रसारित होगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकते हैं जिनके शुद्धिकरण कराये जाने की आवश्यकता छात्रों को होगी। इस सम्बन्ध में छात्रों, उनके माता–पिता व शिक्षण संस्थानों को जागरूक किया जाना है ताकि यदि आधार कार्ड में कोई गलत डाटा है तो उसको सम्बन्धित आधार कार्ड कार्यालय से शुद्ध करा लें।

3– चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 से छात्रों के आवेदन पत्र आधार नम्बर आनलाइन वेरीफिकेशन के पश्चात सम्मिट किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही आधार बेस्ड भुगतान की प्रकिया भी इस वर्ष से प्रारम्भ की जायेगी। आधार बेस्ड भुगतान की प्रकिया के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि अंतरित की जायेगी। छात्रों का बैंक खाता जिस बैंक में खुला होगा वह बैंक पी0एफ0एम0एस0 से मैप होना चाहिये।

4– छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरांत आवेदन पत्र सम्मिट किया जा सकेगा। आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित

श्री पंकज
मु0नियमा0आ0का0

13/07/2020

होगी। यदि आधार नम्बर से अभ्यर्थी का कोई बैंक खाता लिंक नहीं है तो छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार सम्भव नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना है :–

1– सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिये, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिये।

2– जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध हैं वे आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक/सीड करा लेना चाहिये।

3– हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता–पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिये।

4– हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिये।

5– आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लेना चाहिये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से जनपद के समस्त केन्द्रीय/राज्य/डीम्ड/निजी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों एवं समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थाओं के निदेशक/संचालकों/प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

13.7.20

(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
कृते निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
कृते निदेशक